



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221422
CG-DL-E-28082020-221422

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2592]
No. 2592]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

का.आ. 2923(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 473 दिनांक 31 जनवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-110 के कि०मी० 38 ;नया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या.33 के किमी० 52 (बंधुगंज) में उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण कार्य (जॉब संख्या-एन०एच०-110 बिहार(18)/16-17-024-एस०आर० (बी०), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.06.2020 " को "दैनिक जागरण (हिन्दी संस्करण)" और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-110 के कि०मी० 38 ;नया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-33 के किमी० 52 (बंध्यगंज) मे उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पूल के निर्माण कार्य (जॉब संख्या-एन०एच०-110 बिहार(18)/ 16-17-024-एस०आर० (बी०)] के संबंध में पड़ने वाली भूमि का ढाचा सहित अथवा ढाचों के बिना, किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: जहानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मोदनगंज				
	गांव का नाम: बंध्यगंज				
1	1302	निजी	भीठ	0.07044	बंगाली साव पिता- प्रभु साव कामेश्वर यादव पिता- स्व० चंद्रिका यादव (1302)
2	1304	निजी	भीठ	0.04006	बैकुण्ठ शर्मा पिता - स्व० कपिलदेव सिंह (1304)
	गांव का नाम: परीआवां				
3	59	निजी	भीठ	0.01468	बाबु लाल यादव वो देवलाल यादव वो नन्हकु यादव पिता- स्व० यदु यादव ()
4	61	निजी	भीठ	0.001392	सियाशरण सिंह पिता - शीतल सिंह (61)
5	62	निजी	भीठ	0.09854	शिवकुमार तिवारी पिता- स्व० झलक तिवारी (62)
6	72	निजी	भीठ	0.07128	वीणा कुमारी पति- अरविन्द सिंह विद्या शर्मा पिता- स्व० गोपाल शर्मा संजय

					कुमार पिता- स्व० सीताराम शर्मा अमरेन्द्र कुमार पिता- स्व० बाँके सिंह गाँव का नाम- बंधुगंज (72)
			कुल	0.296392	

[फा. सं. RW/PAT/3/NH/110(NEW NH- 33) Km 38 (New 52)/LA/2019/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

S.O. 2923(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, S.O number 473 dated 31 January, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of High level R.C.C Major Bridge in Km 38 (Bandhuganj) of NH-110 (New NH-33 in Km 52) [Job No-NH-110/Bihar(18)/16-17-024-S&R(B)] in the district of Jehanabad in the state of Bihar.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Jagran** (Hindi Version) ” and “**The Time of India** (English Version) ” both dated 18.06.2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to acquired with or without structure for Construction of High level R.C.C Major Bridge in Km 38 (Bandhuganj) of NH-110 (New NH-33 in Km 52) [Job No-NH-110/Bihar(18)/16-17-024-S&R(B)] in the district of jehanabad in the state of Bihar.

State: BIHAR		District: JEHANABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Modanganj				
	Village: Bandhuganj				
1	1302	Private	Bhith	0.07044	Bangali Sao S/O- Prabhu Sao

					Kameshwar Yadav S/O- Late.ChandrikaYadav 1302
2	1304	Private	Bhith	0.04006	Baikunth Sharma S/O- Late Kapildeo Singh 1304
	Village: Pariavan				
3	59	Private	Bhith	0.01468	Babu lal Yadav wo Devlal Yadav wo Nanhku Yadav S/O- Late Yadu Yadav 59
4	61	Private	Bhith	0.001392	Siyasharan Singh S/O- Shital Singh 61
5	62	Private	Bhith	0.09854	Shivkumar Tiwari S/O- Late Jhalak Tiwari 62
6	72	Private	Bhith	0.07128	Vina Kumari W/O- Arvind Singh Vidhya Sharma S/O- Late Gopal Sharma Sanjay Kumar S/O- Late Sitaram Sharma Amrendra Kumar S/O- Late Banke Singh Village- Bandhuganj 72
			TOTAL	0.296392	

[F. No. RW/PAT/3/NH/110(NEW NH- 33) Km 38 (New 52)/LA/2019/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.